

एफ. सं. पीएडी-2023-24-000046

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार  
(तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,  
नई दिल्ली - 110016)

02 फरवरी, 2024

## शुद्धिपत्र

विषय:- एपीडा, नई दिल्ली में सलाहकार (वित्त), एसोसिएट (व्यापार, जैविक संवर्धन) की नियुक्ति

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25.01.2024 के बोली दस्तावेज़ में, पैरा 4.1 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"पारिश्रमिक में सभी लागू कर शामिल होंगे, (पारिश्रमिक पर देय जीएसटी की राशि को छोड़कर, जो एपीडा द्वारा वहन किया जाएगा, यदि लागू हो) और किसी अन्य सुविधा या भत्ते की अनुमति नहीं होगी।"

2. उक्त दस्तावेज़ में अन्य सभी नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं है।

सचिव, एपीडा